15/7/14 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान सुमन बनाम वीरेन्द्रसिंह

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 116/2026

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.05.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.05.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.05.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ढ दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15.07.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— [signature] 15/7/24

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1. सुमन पत्नि अगूंरसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई (भरतपुर)

बनाम

1. वीरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई(भरतपुर)
2. राधवेन्द्र पुत्र रामजीत जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई(भरतपुर)
3. दिनेशसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई(भरतपुर)
4. लक्ष्मनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई(भरतपुर)
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
6. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई

प्रतिवादीगण

15/7/24

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
116 / 2016	29.05.2016	15.07.2024

उनवान

1. सुमन पत्नि अगूंरसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई (भरतपुर)

वादिनी

बनाम

1. वीरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई(भरतपुर)
2. राधवेन्द्र पुत्र रामजीत जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई(भरतपुर)
3. दिनेशसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई(भरतपुर)
4. लक्ष्मनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तह.नदबई(भरतपुर)
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
6. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई

प्रतिवादीगण

दावा— 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :—

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.07.2024 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :—

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 471 रकवा 0.46 व 472 रकवा 0.50 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई तहसील नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.05.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.05.2024 (प्रदर्श—अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम

15/7/24

पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.05.2024 प्रदर्श—"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अगल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

15/7/24

(गंगाधर मीना, R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई